बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस सहित कई स्पर्धाएं सीधे डिवीजन लेवल पर

शासन ने कहा - डिस्ट्रिक्ट लेवल जरूरी, यूनिवर्सिटी करवा रही सीधे डिवीजन

पत्रिका इंडेप्थ स्टोरी

रफी मोहम्मद शेख
patrika.com

इंदौर. देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने सत्र 2026-27 के लिए इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी किया है। यूनिवर्सिटी ने कई ऐसी स्पर्धाओं को डायरेक्ट या डायरेक्ट डिवीजन के रूप में रखा है, जिनके लिए शासन के कैलेंडर में डिस्ट्रिक्ट लेवल निर्धारित है। बैडमिंटन से लेकर टेबल टेनिस तक में कॉलेज से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाने वाली शासन की पहले डिस्ट्रिक्ट और फिर डिवीजन लेवल प्रतियोगिता की प्रक्रिया को डीएवीवी के कैलेंडर में नहीं रखा गया और प्रतियोगिता को डिवीजन लेवल पर ले जाया गया है।

यह स्थिति शासन के उस निर्देश से टकराती दिखाई देती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रतियोगिताएं आयोजित कर संबंधित लेवल पर टीम तैयार करने की व्यवस्था कही गई है। शासन के पत्र में डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा आगे की प्रतियोगिताओं के लिए टीम चयन की प्रक्रिया का उल्लेख है।

बैडमिंटन, टेटे, बॉस्केटबॉल में डिस्ट्रिक्ट नहीं : बैडमिंटन में शासन ने कॉलेज लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रतियोगिता करवाने को कहा है, लेकिन कैलेंडर में पुरुष और महिला बैडमिंटन दोनों को डायरेक्ट डिवीजन रखा है। इसी तरह बास्केटबॉल पुरुष और महिला दोनों को डायरेक्ट डिवीजन में रखा है। टेबल टेनिस के लिए भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद डिवीजन लेवल की प्रतियोगिता निर्धारित है। पुरुष और महिला टेबल टेनिस दोनों को डायरेक्ट डिवीजन रखा है। कैलेंडर में केवल तीन खेलों में ही यह अंतर नहीं है। कई अन्य खेलों में भी शासन के डिस्ट्रिक्ट-डिवीजन ढांचे और यूनिवर्सिटी के इंटर कॉलेजिएट कैलेंडर के बीच अंतर है। जूडो, हॉकी, फुटबॉल महिला, वॉलीबॉल महिला, कुश्ती और योग के सामने डायरेक्ट या डायरेक्ट-डिवीजन दर्ज है।

सात खेलों में सीधे डिवीजन

शासन के कैलेंडर में कुछ खेलों को सीधे डिवीजन लेवल के लिए रखा है। इसी कारण इनके सामने डिस्ट्रिक्ट लेवल की तारीख नहीं दी है। इनमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, हैंडबॉल और मलखंभ जैसी स्पर्धाएं हैं। विवि ने भी इन खेलों को अपने कैलेंडर में डायरेक्ट/डिवीजन श्रेणी में रखा है। दूसरी ओर क्रिकेट पुरुष, फुटबॉल पुरुष, कबड्डी, खो-खो, पिट्ठू और पुरुष वॉलीबॉल में जिला स्तर की टीमें भाग लेंगी। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पहले कुल आठ जिले आते थे, लेकिन क्रांतिवीर टंट्या मामा यूनिवर्सिटी बनने के बाद खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी और आलीराजपुर के पांच जिले चले गए हैं। अब इंदौर सहित धार और झाबुआ जिला ही बचा है।

चयनित होने का अवसर खत्म

शासन के कैलेंडर में डिस्ट्रिक्ट लेवल को प्रतियोगिता प्रक्रिया का एक चरण बनाया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग-अलग कॉलेजों से आने वाले खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलता है और उसी लेवल से आगे की टीम तैयार की जाती है। यदि किसी ऐसे खेल को सीधे डिवीजन लेवल पर कर दिया जाता है जिसमें शासन ने डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता निर्धारित की है, तो उस जिले के खिलाड़ियों के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रदर्शन करने और चयनित होने का अवसर समाप्त हो जाता है। इससे खासकर उन कॉलेजों के खिलाड़ियों पर असर पड़ सकता है जो सीधे डिवीजन लेवल की प्रतियोगिता में पहुंचने की स्थिति में नहीं होते, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता के माध्यम से आगे बढ़ सकते थे।

बड़ा सवाल : किस आधार पर हटाया डिस्ट्रिक्ट चरण?

विवि के इंटर कॉलेजिएट कैलेंडर में 48 खेल एवं स्पर्धाएं शामिल हैं। इनके सामने स्टेट्स, आयोजन कराने वाले कॉलेज और प्रस्तावित तारीख दी गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिन खेलों के लिए शासन ने डिस्ट्रिक्ट लेवल निर्धारित किया है, उन्हें डीएवीवी ने सीधे डिवीजन लेवल पर किस आधार पर रखा। क्या यूनिवर्सिटी शासन के 2026-27 के नए कैलेंडर के आधार पर अपने इंटर कॉलेजिएट कैलेंडर में संशोधन करेगी। सबसे महत्वपूर्ण, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने वाली प्रतियोगिता और टीम चयन की प्रक्रिया समाप्त करने का निर्णय किस लेवल पर लिया गया?

'द पार्क' में पूर्वांचल फूड फेस्टिवल

बिजनेस न्यूज

इंदौर @ पत्रिका. शहर के खाने-पीने के शौकीनों के लिए आने वाले दस दिन खास होने वाले हैं। द पार्क में शुक्रवार से पूर्वांचल फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। यह फेस्टिवल 27 सितंबर तक चलेगा और हर शाम 7:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। मेनू का क्यूरेशन द पार्क इंदौर के एग्जीक्यूटिव शेफ संतोष यादव ने किया है। फूड फेस्टिवल के लाइव स्टेशन्स में लिट्टी चोखा, सत्तू पराठा, निमोना व पूरी, दाल पूरी, दाल फरा, बेसन फुलौरी, मशरूम गलौटी, सकोड़ा, कटहल निहारी, खस्ता व कोहड़ा का लगड़वा, हरा चना बचका व आलू चॉप, कटहल की सब्जी, कढ़ी बड़ी, हरे मटर की शमी, दही जलेबी, मालपुए व खीर, खाजा, ठेकुआ, सत्तू शरबा, चाट काउंटर शामिल होंगे। द पार्क इंदौर के फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर सुदीप कांजीलाल ने कहा, इस फेस्टिवल का उद्देश्य शहरवासियों को पूर्वांचल के पारंपरिक और प्रामाणिक स्वादों से रूबरू कराना है।

हार्ट मेले में होगी स्क्रीनिंग, बचाव के लिए हेल्थ चेकअप और सीपीआर की ट्रेनिंग

इंदौर @ पत्रिका. कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीएसआइ) की इंदौर शाखा द्वारा रविवार को हार्ट मेला का आयोजन किया जाएगा। ढक्कनवाला कुआं स्थित ग्रामीण हाट मेला परिसर में सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक निःशुल्क आयोजन होगा। मेले में आने वाले लोग एक ही जगह पर कई तरह के रूटीन हेल्थ चेकअप करवा सकेंगे। इनमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और एचबीए1सी, कोलेस्ट्रॉल (लिपिड) प्रोफाइल, यूरिक एसिड आदि हैं। मेले को लेकर आयोजित कॉन्फ्रेंस के दौरान वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. राकेश जैन ने कहा, आम लोगों को सीपीआर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सीएसआइ इंदौर का मकसद लोगों में जागरूकता बढ़ाना और बेसिक सीपीआर स्किल सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। डॉ. प्रदीप गुप्ता, डॉ. परितोष राजपूत ने कहा, दिल की सेहत का मतलब सिर्फ इलाज नहीं है, यह बचाव के बारे में भी है। डॉ. एके पंचोलिया व डॉ. विद्युत जैन ने दिल की बीमारियों का जल्दी पता लगाने और रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग के महत्व और फायदों पर जोर दिया।

आरोप है चाकू से हमले का किया प्रयास, फिर पिस्टल से धमकाया

फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों ने किया हमला

इंदौर @ पत्रिका. सराफा थाना क्षेत्र में गोपाल मंदिर के पास फुटपाथ पर दुकानों का व्यापारियों ने विरोध किया तो ठेला लगाने वालों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि आदतन अपराधियों ने चाकू से हमले का प्रयास कर पिस्टल से धमकाया। शाम को हुई घटना के बाद से व्यापारी एसोसिएशन बाजार में हो रही गुंडागर्दी के विरोध में थाने पर डटी रही। रात 11 बजे तक व्यापारी थाने के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाकर कार्रवाई की मांग करते रहे।

पीड़ित व्यापारी नितेश चौरसिया ने बताया कि वे व्यापारी एसोसिएशन के सचिव हैं और बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सह मीडिया प्रभारी भी हैं। उनकी गोपाल मंदिर के समीप काम्प्लैक्स में शॉप है। शुक्रवार शाम को उनकी दुकान के बाहर अचानक बदमाशों ने ठेले लगा लिया। विरोध करने पर सभी मारपीट करने लगे। इस दौरान एक बदमाश ने चाकू से हमले का प्रयास किया। आरोप है जब चाकू के हमले में बदमाश असफल हुआ तो वह धमकाने के लिए घर से पिस्टल उठा लाया। बाजार में खुलेआम गुंडागर्दी से परेशान व्यापारियों ने इसका विरोध किया। सभी धमकाने, मारपीट करने वालों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराने पहुंचे। आरोप है सबूत होने के बाद भी थाना पुलिस ने कई घंटे सुनवाई नहीं की। वहीं कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंचे व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। सभी ने बाजार में गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने का नोटिस

इंदौर @ पत्रिका. निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने शुक्रवार को निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान काम में देरी और लापरवाही मिलने पर संबंधित एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। नेमीनाथ से जिंसी, जिंसी से लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक निर्माण कार्य की गति धीमी पाए जाने पर एजेंसी को डि-स्कोप एवं ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई के लिए नोटिस देने के निर्देश। एरोप्लेन चौराहे से भमोरी तक सड़क निर्माण की गति धीमी होने पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी विदाई

इंदौर @ पत्रिका. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार सुबह को एयरपोर्ट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को विदाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उन्हें सम्मान स्वरूप लोकमाता देवी अहिल्या बाई की मूर्ति एवं छायाचित्र भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इंदौर-उज्जैन प्रवास एवं विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता के लिए उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

खौलता तेल फेंकने वाले गिरफ्तार

इंदौर @ पत्रिका शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने पर दुकान पर खौलता तेल फेंकने और चाकू से हमला करने के मामले में फरार आरोपियों को हीरा नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जोन-3 एडिशनल डीसीपी ओमप्रकाश ने बताया, टीआइ सुशील पटेल की टीम ने आरोपी अमन गेले (25) निवासी फिरोज गांधी नगर, पीयूष मसाल (18) निवासी वंशी प्रेस, शुभम पंडित (25) निवासी कोली मोहल्ला, उत्कर्ष पगारे (18) निवासी शिवाजी नगर, अर्जुन उर्फ गुल्ला (18) निवासी भागीरथपुरा को गिरफ्तार किया है। पीड़ित ने बताया था कि वे मोमोज की दुकान संचालित करते हैं। 16 सितंबर की रात 9.30 बजे ग्राहकों को मोमोज बेच रहे थे। दो बाइक से चार आरोपी दुकान पर आए। सभी शराब के लिए रुपए मांगने लगे। विरोध पर एक ने चाकू निकाला और दोस्त पर वार कर दिया। यह देख फरियादी बीच-बचाव करने पहुंचे तो एक आरोपी ने खौलते तेल की कढ़ाई फेंक दी।

युवाओं को आंकड़े नहीं, रोजगार चाहिए : खेड़ा

इंदौर @ पत्रिका. कांग्रेस से राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने शक्रवार को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में युवाओं, रोजगार और भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश के युवाओं को जीडीपी और आर्थिक विकास के आंकड़ों से ज्यादा रोजगार के अवसर चाहिए। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ियों से भविष्य प्रभावित हो रहा है। राहुल गांधी के कार्यक्रम में लगातार अड़चनें पैदा की जा रही हैं। छात्रों से स्व-घोषणा पत्र लेने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई।

आपात स्थिति में जान बचाने के लिए प्रशिक्षण

इंदौर @ पत्रिका. गंभीर रूप से घायल और झुलसे मरीजों को अस्पताल पहुंचने के बाद तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एनजीएलएस ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई। शुक्रवार को सेंटर का उद्घाटन एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने किया। सेंटर में डॉक्टरों, नर्सिंग ऑफिसर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शुरुआत में 100 नर्सिंग स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण दिया।

NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, INDORE BENCH,
OFFICE NO.1 & 7, RCM-11, ANANDVAN
SCHEME NO 140, INDORE, MADHYA PRADESH- 452016
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Section 102 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MR. MAHESH RAJPAL
Personal Guarantor of M/s Rajpal Abhikaran Private Limited

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the Personal Guarantor	MR. MAHESH RAJPAL
2.	Name of the corporate debtor in which guarantee given	M/S Rajpal Abhikaran Private Limited
3.	Date of incorporation of corporate debtor	05/02/1999
4.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC-Gwalior
5.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U34300MP1999PTC013302
6.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Regd. Office: 293/2, Niranjanpur, A.B. Road Indore MP 452010
7.	Address of personal guarantor	8, Triveni Colony, Indore (M.P.)-452001
8.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	26/03/2021
9.	Details of order of commencement of insolvency in respect of personal guarantor	Order No. C.P.(IB)/40 (MP) 2021 dated 11.09.2026. Order uploaded on the NCLT Website on 17.09.2026.
10.	Name and registration number of the insolvency professional acting as resolution professional	Sajjan Kumar Dokania IBBI/IPA-003/IP-N00150/2017-2018/11729
11.	Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	40, Globus Fab City, Kolar Road, Chuna Bhatti, Near Suyash Hospital, Bhopal, Madhya Pradesh, 462016, email: sajjan_suman@hotmail.com
12.	Address and e-mail to be used for correspondence with the resolution professional	40, Globus Fab City, Kolar Road, Chuna Bhatti, Near Suyash Hospital, Bhopal, Madhya Pradesh, 462016, email: sajjan_suman@hotmail.com
13.	Last date for submission of claims	10.10.2026

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, Indore Bench has ordered on 11.09.2026 (Order uploaded on the NCLT Website on 17.09.2026) under section 100 of IBC 2016, on the application of State Bank of India under Section 95(1), the commencement of insolvency resolution process against Mr. Mahesh Rajpal (resident of as mentioned at entry no. 7). The Creditors of Mr. Mahesh Rajpal are hereby called upon to submit their claims with proof on Form B as provided in the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019 (available on IBBI website at https://ibbi.gov.in/home/downloads) on or before 10.10.2026 (within 21 days from the date of issue of this publication) to the resolution professional at the address mentioned against entry No. 11.

1. The creditors may submit their claims through electronic means or by hand or registered post or speed post or courier.
2. In addition to the claims referred to in point no. 1 (as above), the creditor shall provide to the resolution professional, personal information and such particulars as mentioned in Form B (available on IBBI website at https://ibbi.gov.in/home/downloads).

Note: Submission of false or misleading claims shall attract penalties or imprisonment in accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy code, 2016 and any other applicable laws.

By order
Place: Bhopal
Date: 19-09-2026
Issued by Sajjan Kumar Dokania, Resolution Professional on behalf of Hon'ble Adjudicating Authority, NCLT, Indore Bench.